

माँ महामाया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित, अम्बिकापुर ग्राम-केरता
जिला-सूरजपुर (छ.ग.)

पंजीयन क्रमांक-डी.आर./अम्बिकापुर/2121 दिनांक: 15.10.2006

ड्रायर हाऊस शक्कर बोरी सिलाई एवं हेण्डलिंग हेतु ई-निविदा
प्रपत्र वर्ष 2020-21

ड्रायर हाऊस शक्कर बोरी सिलाई एवं हेण्डलिंग हेतु ई-निविदा की नियम एवं शर्तें



कारखाना स्थल : ग्राम-केरता, तहसील - प्रतापपुर,
जिला - सूरजपुर (छ0ग0)

ठेकेदार का नाम व पता

.....
.....
.....

दिनांक -

निविदा फार्म जारीकर्ता के हस्ताक्षर

G.M. (Admin)
M.M.S.S.K. Ambikapur



**माँ महामाया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित, अम्बिकापुर
ग्राम केरता जिला सूरजपुर (छ.ग.)**

ई-निविदा प्रपत्र

निविदा विज्ञापित क्रमांक 1696(4)

दिनांक 18/11/2020

पेराई सत्र 2020-21 हेतु ड्रायर हाऊस शक्कर बोरी सिलाई, एवं हेण्डलिंग कार्य हेतु
ई-निविदा आमंत्रित की जाती है।

1	पंजीकृत ठेकेदार/फर्म का नाम	श्री/मेसर्स
2	फर्म का पता
3	निविदा फार्म का मूल्य	रुपये 1311.00 (एक हजार तीन सौ ग्यारह रुपये मात्र) वापसी योग्य नहीं है को www.eproc.cgstate.gov.in में जाकर ऑनलाईन पेमेन्ट करना होगा। जमा नहीं होने पर निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
4	निविदा प्रपत्र विक्रय/जमा करने की तिथि एवं समय	दिनांक 20/11/2020 को दोपहर 12.00 बजे से दिनांक 24/11/2020 को समय दोपहर 12.00 बजे तक www.eproc.cgstate.gov.in से निर्धारित शुल्क जमा कर डाऊनलोड/अपलोड कर सकते हैं।
6	निविदा खोलने की तिथि एवं समय	दिनांक 24/11/2020 को समय दोपहर 01.00 बजे के बाद।

7. अमानत/ई.एम.डी. राशि - निविदाकार को निविदा फार्म के साथ ही निविदा में ई0एम0डी0 हेतु राशि रुपये 60,000.00 (रुपये साठ हजार मात्र) कारखाने के खाते में (खाता नं 30185543714 भारतीय स्टेट बैंक, अम्बिकापुर, में RTGS No:- SBIN0000310) अथवा (खाता क्रमांक 7258002100000030 पंजाब नेशनल बैंक पम्पापुर IFSC Code :- PUNB0725800) में माँ महामाया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित - अम्बिकापुर के नाम से जमा करनी होगी। RTGS/NEFT/TRANSFER के माध्यम से ही ई.एम.डी. राशि जमा करना अनिवार्य होगा, ई.एम.डी. की राशि कारखाने के खाते में जमा नहीं होने पर आपकी निविदा निरस्त की जाएगी। ई.एम.डी. राशि जमा की पावती को ई-निविदा के भाग - 1 में संलग्न करना अनिवार्य होगा।



प्रबंध संचालक
माँ महामाया सहकारी शक्कर कारखाना
मर्यादित अम्बिकापुर ग्राम केरता

माँ महामाया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित अम्बिकापुर ग्राम-केरता जिला सूरजपुर (छ0ग0)

झायर हाऊस शक्कर बोरी सिलाई, एवं हेण्डलिंग कार्य हेतु ई-निविदा 2020-21

1. पंजीकृत ठेकेदार/फर्म का नाम :
2. पता :
3. मोबाईल नं. :
4. ई-मेल आई.डी. :
5. जी.एस.टी. नम्बर (छायाप्रति संलग्न करें) :
6. फर्म का पैनकार्ड नम्बर (छायाप्रति संलग्न करें) :
7. लेबर ठेकेदारी पंजीयन क्रमांक : (छायाप्रति संलग्न करें)
8. वैधता की तिथि :
9. निविदाकार का बैंक का नाम :
10. निविदाकार का खाता क्र. :
11. ई.एम.डी. जमा राशि :शब्दों में.....
12. यू.टी.आर. नम्बर :
13. कारखाने का बैंक एवं शाखा: (जिसमें ई.एम.डी. जमा की गई है)

पंजीकृत ठेकेदार/फर्म का नाम एवं हस्ताक्षर



-:: निविदा की शर्तें ::-

निविदा विज्ञापित क्रमांक 1696(04)

दिनांक 18/11/2020

1. निविदाकार को तकनीकी भाग - दो के साथ जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की छायाप्रति, पैन नम्बर की छायाप्रति, लेबर ठेकेदारी प्रमाण पत्र की छायाप्रति, ई.एम.डी. जमा की रसीद का छायाप्रति, एवं 02 वर्ष का आयकर रिटर्न का छायाप्रति अथवा 02 वर्ष का बैलेन्सशीट की छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। (आयकर रिटर्न एवं बैलेन्सशीट हेतु सहकारी समितियों को छुट दी जावेगी)
2. ड्रायर हाऊस शक्कर बोरी सिलाई एवं हेण्डलिंग कार्य हेतु सहकारी समितियों को प्राथमिकता दी जावेगी।
3. श्रम विभाग से पंजीकृत सहकारी समिति होना अनिवार्य है।
4. निविदाकार ठेकेदार का पंजीयन श्रम अधिनियम के अन्तर्गत श्रम विभाग से कम से कम 50 मजदूर, का पंजीयन होना अनिवार्य है।
5. प्रत्येक पाली के अनुसार अपने मजदूरों का हाजरी का मास्टर फर्म के सुपरवाईजर को रखना अनिवार्य होगा। जिसमें प्रति पाली, प्रतिदिन गोदाम इंचार्ज/शुगर हाउस इंचार्ज/चीफ केमिस्ट का साइन कराना अनिवार्य होगा। जिसके आधार पर बिल का भुगतान किया जायेगा।
6. तकनीकी भाग -2 में निविदा के शर्त अनुसार मांगे गये सभी डाक्यूमेन्ट को संलग्न कर प्रस्तुत किया जाना होगा एवं व्यावसायिक भाग-3 में दिये गये स्थान पर सिर्फ दर प्रस्तुत किया जाना होगा।
7. ड्रायर हाऊस शक्कर बोरी सिलाई एवं हेण्डलिंग कार्य का दर प्रति बोरी समस्त कर सहित दिया जाना होगा एवं देयक भुगतान हेतु जी.एस.टी. देयक दिया जाना अनिवार्य होगा। एवं जी.एस.टी. समय पर भुगतान किया जाना अनिवार्य होगा, जिससे कारखाना को जी.एस.टी का क्रेडिट लिया जा सके जी. एस.टी. का क्रेडिट नहीं मिलने पर ई.एम.डी. अथवा अन्य देयक राशि से कटौती की जावेगी।
8. कार्यरत मजदूरों का श्रम विभाग के नियमानुसार बीमा होना अनिवार्य है, यदि किसी दुर्घटना में मजदुर को कोई क्षति के लिए जवाबदार स्वयं उत्तरदायी होंगे, कारखाना प्रबंधन इसके लिये जवाबदार नहीं होगा।
9. कार्य में लगे मजदूरों की लिस्ट प्रति पाली, प्रति-दिन गोदाम इंचार्ज/शुगर हाउस इंचार्ज/शिफ्ट केमिस्ट/चीफ केमिस्ट से साइन कराकर टाइम ऑफिस में सम्बन्धित अधिकारी के पास जमा करना अनिवार्य होगा।



10. शुगर हाउस से शक्कर प्रति-दिन लगभग 3,000 किंचटल उत्पादित होगा। शुगर हाउस में जाम की स्थिति नहीं होनी चाहिए। तीनों शुगर हाउस बिन (S-30, M-30, L-30) बिन लेवल नियमित रूप से कोन के उपर नहीं जानी चाहिए। अगर कोन के उपर जाता है तो प्रतिघंटा 5000 रुपये पेनाल्टी काटी जायेगी। शुगर हाउस जाम होने पर प्रतिघंटा 2000 रुपये राशि कटौती की जायेगी। शुगर बिन ओवरफ्लो होता है तो प्रतिघंटा 7000 रुपये की दर से राशि काटी जायेगी। शुगर बिन ओवरफ्लो होने पर फ्लोर पर गिरे शक्कर को तत्काल अपने मजदूरों से बैगिंग एवं सिलाई करके हटाना अनिवार्य होगा।
11. किसी भी श्रमिक को 8 घंटे से अधिक कार्य पर नहीं रखा जायेगा।
12. शुगर बैग हैंडलिंग के दरमियान अगर बोरी फटती है तो उसकी रि-पैकिंग एवं सिलाई करना अनिवार्य होगा।
13. कारखाना के नियम एवं शर्तों के अनुसार कार्य नहीं पाये जाने पर उस दिन का भुगतान नहीं किया जायेगा।
14. प्रत्येक पाली में अधिकृत सुपरवाइजर रखना अनिवार्य होगा।
15. प्रत्येक मजदूर को ठेकेदार के साईन सहित पहचान पत्र उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
16. बारिश एवं प्राकृतिक आपदा एवं आग आदि के कारण शक्कर की सुरक्षा की जवाबदारी ठेकेदार की होगी।
17. ग्रेडर, एलीवेटर पिच, शुगर बिन, हॉपर एवं शुगर हाउस छल्ली के आस-पास नियमित रूप से प्रति पाली, प्रति-दिन साफ-सफाई करना अनिवार्य होगा।
18. खाली पी.पी. बैग ट्रक से खाली करना एवं सुरक्षित स्थान पर रखना एवं शुगर हाउस में ले जाने का कार्य अनिवार्य होगा।
19. प्रत्येक पाली में प्रति-दिन निम्नानुसार मजदूर रखना अनिवार्य होगा।
 - (A) सिलाई कार्य - 07 मजदूर प्रति पाली ।
 - (B) शिफ्टिंग - 15 मजदूर प्रति पाली ।
 - (C) अधिकृत सुपरवाइजर- 1 प्रति पाली ।

उपरोक्तानुसार प्रति पाली 22 मजदूर और प्रति दिन 66 मजदूर कार्य पर लेना अनिवार्य होगा।
20. किसी भी प्रकार का वाद की स्थिति में सक्षम न्यायालय (सहकारिता विभाग) में ही सुनवाई/वाद दायर किया जा सकेगा।



21. अध्यक्ष/क्रय विक्रय समिति/प्रबंध संचालक को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी शर्त को विलोपित करने मात्रा घटाने बढ़ाने, निविदा निरस्त करने एवं कायदेशि निरस्त करने सम्बंधि पूर्ण अधिकार होगा।

पंजीकृत लेबर टेकेदार/फर्म का हस्ताक्षर

सत्यनिष्ठा वचन पत्र

मैं.....फर्म.....
प्रतिनिधि का नाम.....पिता का नाम.....
.....पता.....
.....का निवासी हूँ मैं शपथ पुर्वक कथन करता हूँ कि

1. मेरे द्वारा कोड किया गया दर न्यूनतम है एवं इससे कम दर पर कार्य नहीं करूंगा।
2. मेरे द्वारा कोड कि गई सामाग्री/कार्य का व्यापार किया जाता है जिसकी समस्त जानकारी मुझे है।
3. मुझे पूर्व कायदेशिों की सामाग्री/कार्य सही समय में एवं गुणवत्ता के अनुसार पूर्ण की गई है।
4. मैंने निविदा में भाग लेने या कार्य आदेश प्राप्त करने के उद्देश्य से संस्था के किसी कर्मचारी/अधिकारी से कोई सम्पर्क नहीं किया है और नहीं कोई अनुचित व्यावहार किया है जिससे अनुचित लाभ प्राप्त हो।
5. मैंने अपना दर प्रस्तुत किया है ई.एम.डी. राशि रूपये कारखाना के खाता क्रमांकमें राशि रूपये.....
.....दिनांक.....को.संस्था के पक्ष में जमा किया है यदि मेरे द्वारा दी गई किसी भी प्रकार की जानकारी असत्य पाई जाती है अथवा कार्य में विलम्ब किया जाता है या सही गुणवत्ता का नहीं पाया जाता है तो समस्त ई0एम0डी0 राशि संस्था के पक्ष में जप्त करने हेतु अधिकृत करता हूँ।

निविदाकार का हस्ताक्षर

